भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. **35**42
10.08.2026 को उत्तर के लए

वन भू म के अन्यत्र उपयोग का प्रस्ताव

3542 श्री चमाला करण कुमार रेड्डीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने केबी आ सफाबाद जिले में मखूड़ी और रेचनी सड़क के बीच रेलवे सीमा के भीतर मौजूदा पटरियों के साथ-साथ नई तीसरी बड़ी रेललाइन बिछाने के लए कागजनगर प्रभाग में कंवल बाघ रिजर्व के बाघ कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाली 21.2642 हेक्टेयर वन भू म के अन्यत्र उपयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राज्य ने तेलंगाना राज्य में एनएच-7665जी के मेदक-येल्लारेड्डी खंड को पक्के शोल्डर के साथ 2/4 लेन में चौड़ा करने के लए मेदक और कामारेड्डी जिलों में 15.2291 हेक्टेयर वन भू म के अन्यत्र उपयोग का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त प्रस्तावों पर सरकार की प्रस्ताव-वार क्या प्रति क्रया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) से (ग) : कागजनगर वन प्रभाग में बाघ कॉरिडोर में आने वाली 21.2642 हेक्टेयर वन भू म सहित 24.7539 हेक्टेयर वन भू म के अन्यत्र उपयोग के प्रस्ताव को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम, 1980 के तहत दिनांक 15.11.2021 को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972 के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी स मति (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की सफारिशों को दिनांक 20.04.2020 को राज्य सरकार को सू चत कया गया था।

इसके अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972 के उपबंधों के तहत एससी-एनबीडब्ल्यूएल की सफारिश जो तेलंगाना के मेडक और कामरेड्डी जिलों में एनएच-

765 डी के मेडक-येलारेड्डी खंड को चौड़ा करने के लए 15.2291 हेक्टेयर वन भू म के अपवर्तन के प्रस्ताव से संबं धत थी उसे दिनांक 26.06.2025 को राज्य सरकार को सू चत कर दिया गया था।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अ धनियम, 1980 के तहत वन भू म के अन्यत्र उपयोग के लए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लए राज्य सरकार जो प्रस्ताव देती है, उन्हें अ धनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संसा धत कया जाता है। अ धनियम के तहत दी गई मंजूरी में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिपूरक वनीकरण से संबं धत शर्त शा मल है जिसका उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अनुपालन कया जाना आवश्यक है।
